रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937
No. 314] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2016/MAGHA 15, 1937

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016

का.आ. 362 (अ).- यत: दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.04.2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 986 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पेंतालिस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो.-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
जोन-पी-I, नरेला में 60 मीटर सड़क के साथ-साथ सरकारी भूमि पर सरकारी भूमि उपयोग के लिए निर्धारित प्लॉट	40,000 वर्ग मीटर	"सरकारी"	"उपयोगिता"-विद्युत (पावर हाऊस सब-स्टेशन)	(i)उत्तर-आवासीय (ii)दक्षिण-60 मीटर सड़क मार्गाधिकार (iii) पूर्व-सरकारी भूमि उपयोग (iv)पश्चिम-(व्यावसायिक) (सामुदायिक केन्द्र)

[फा.सं. के-13011/9/2015-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2016

S.O.362(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 986 (E) dated 10th April, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion have been received with regard to the said modification.

3. Whereas the Central Government has after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Location	**Area**	**Land Use (MPD-2021)**	**Land Use Changed to**	**Boundaries**
The plot earmarked for Government Land use at Government land along 60 m Road Zone P-I, Narela.	40,000 sq.mt	'Government'	'Utility'-Electricity (Power House Sub-station)	(i) North Residential (ii) South 60 mt. Road R/W (iii) East Govt. Landuse (iv) West (Commercial) (Community Centre)

[F.No. K-13011/9/2015-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.